रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 118] नई दिल्ली, बुधवार, जून 14, 1978/ज्येष्ठ 24, 1900
No. 118] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 1978/JYAISTHA 24, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 जून, 1978

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या 39 ई. टी. सी. (पी. एन.) 78

विषय :—अप्रैल 1978 मार्च 1979 अवधि के लिए लकड़ी और इमारती लकड़ी की निर्यात नीति।

सं. 6/1/78-इ. आई.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 28 ई. टी. सी. (पी.एन.) 78 दिनांक 19 मई, 1978 और निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 ए.एम.(62) 78 दिनांक 14 जून, 1978 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

यह निश्चय किया गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य की मुलायम लकड़ी उत्पाद, कोनिफर्स, चाहे वह कुन्दे में हो या चीरा हुआ हो, के निर्यात की अनुमति दी जाए। सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा जहाजरानी बिलों भूमि सीमा शुल्क अनुबंधों पर लाइसेंस पृष्ठांकन करके निर्यात की अनुमति दी जाएगी। निर्यातकों को निर्यातित माल के सम्बन्ध में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के वनों के मुख्य संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा उनके स्थान पर प्राधिकृत अन्य अधिकारी का उद्गम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।

का. वे. शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 14th June, 1978

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 39-ETC(PN)/78

Sub :—Export Policy of wood and timber for the period April 1978—March 1979.

File No. 6/1/78-EI.—Attention is invited to Department of Commerce Public Notice No. 28-ETC(PN)/78 dated the 19th May, 1978 and Exports (Control) Order, 1977/AM(62)/78 dated the 14th June, 1978.

2. It has been decided to allow export of conifers a softwood produce of Jammu and Kashmir State, whether in log form or sawn, to all permissible destinations. The exports will be allowed by the regional licensing authorities concerned by licensing endorsements on shipping bills/land customs appendices. The exporters will be required to produce certificates of origin in respect of the goods sought to be exported, from the Chief Conservator of Forest, Government of Jammu and Kashmir State, or any other officer authorised by the State Government in this behalf.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978